

STATE OF NORTH CAROLINA  
BOARD OF REVIEW

के विषय में

उच्चतम प्राधिकरण की निर्णय संख्या

ध्यान दे :

दावेदार

नियोक्ता

N.C.Gen.Stat. §96-15(e), के अवलोकन में यह कारण Board of Review (बोर्ड) के समक्ष ( दावेदार की) (नियोक्ता की) अपील पर विचार करने के लिए सामने आया, जिससे (एक निर्णय) ( खारिज करने का आदेश) का आदेश अपील रेफरी द्वारा डॉकेट नंबर. में दिया गया, जिसपर सभी इच्छुक पक्षों को प्रेषित किया गया.:

ऐसा प्रकट होता है कि अपील करने के अधिकारों को अपील निर्णय के पृष्ठ .... पर अंकित किया गया,

यह भी प्रकट होता है कि अपील करने के अधिकार की वैधता ..... को समाप्त हो गई (जिसमें N.C. Gen. Stat. § 96-15(c2)); के द्वारा दिए गए तीन अतिरिक्त दिनों का अधिकार भी शामिल है; और;

इसके आगे यह भी प्रकट होता है कि (दावेदार) (नियोक्ता की) अपील .... को North Carolina Department of Commerce के the Division of Employment Security के (a public employment office of the Division of Workforce Solutions) (Section) (Unit) द्वारा प्राप्त की गयी।

बोर्ड द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपील कानून द्वारा तय की गई एक निश्चित समय सीमा अवधि के अन्दर दर्ज नहीं की गयी। इसलिए अपील अकालिक थी और N.C. Gen.Stat. §§96-15(c) and (c2) में बतायी गयी अनिवार्य समायिकता आवश्यकताओं को पूरा न करने की असमर्थताओं के कारण अनिवार्य रूप से इनकार की गई। इसके अतिरिक्त (दावेदार) (नियोक्ता) द्वारा अच्छे कारकों नहीं दर्शाया गया, जैसाकि 04 N.C. Admin. Code 24A .0105(26) में समय सीमा की आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल होने के लिए 04 N.C. Admin.Code 24A .0100

में परिभाषित किया गया गया है। अच्छे कारणों के लिए आवश्यक है कि वे कानूनी तौर पर पर्याप्त हो, जिसमें कानूनी द्वारा आवश्यक कार्य को न करने की असमर्थता सतत् परिश्रम के कारण हो। सतत् परिश्रम के कारण का अर्थ है, सावधानी, एहतियात, सतर्कता व अच्छे न्यायोचित व्यवहार का माप जिसकी अपेक्षा की गई, व यह कार्य किसी विशेष परिस्थिति में एक तार्किक व बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा किया गया। 04 N.C. Admin.Code 24A .0105(21). (दावेदार)(नियोक्ता) देर से अपील करने के लिए अनुमति दिए जाने आवश्यक अच्छे कारण का प्रदर्शन करने में असफल रहें।

(दावेदार की) (नियोक्ता की) अपील को खारिज किया जाता है।

अपील रेफरी का (निर्णय) (खारिज करने का आदेश) अंतिम है।

Board of Review के सदस्य Keith A. Holliday और Stan Campbell ने इस अपील में भाग लिया व इस निर्णय के साथ सहमति जताई।

यह.

BOARD OF REVIEW

अध्यक्ष

नोट : उच्चतम प्राधिकरण का यह निर्णय प्रेषित करने के 30 दिनों के बाद उस स्थिति में अंतिम हो जाएगा जब इससे उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के लिए एक याचिका दाखिल नहीं की जाती, जैसाकि नीचे सांकेतिक है। प्रेषित करने की तिथि को निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर प्राप्त किया जाए। हालांकि बोर्ड कानूनी सलाह नहीं देता, कृपया उच्चतम प्राधिकरण के निर्णय पर अपील किस प्रकार से की जाए, पैर अतिरिक्त जानकारी के लिए संलग्न ब्रोशर को देखें। यह ब्रोशर राज्य के सभी सार्वजनिक रोजगार कार्यालयों में व Division of Employment Security की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप of Employment Security की वेबसाइट [www.des.nc.gov](http://www.des.nc.gov) के सेक्शन *Frequently Asked Questions* पर भी विजिट कर सकते हैं व स्वयं चुने गए अटार्नी से परामर्श कर सकते हैं।

न्यायिक समीक्षा के लिए अपील के अधिकार

इस उच्चतम प्राधिकरण निर्णय से अपील उच्चतम न्यायालय के क्लर्क के पास अपीलकर्ता द्वारा उस काउंटी में की जाए जहां पर वह रहता या रहती है या फिर जो अपील करने वाले के व्यावसाय प्रमुख स्थान है। यदि अपील करने वाला पक्ष किसी भी काउंटी में नहीं रहता/रहती या फिर उसकी व्यावसाय नार्थ कैरोलिना की किसी भी काउंटी के प्रमुख स्थानों पर नहीं है तो अपील को आवश्यक तौर पर नार्थ कैरोलिना की प्रमुख काउंटी के उच्चतम न्यायालय के क्लर्क के पास अथवा फिर नार्थ कैरोलिना की उस काउंटी के उच्चतम न्यायालय के क्लर्क के पास किया जाए जहां पर विवाद उत्पन्न हुआ है।

उच्चतम प्राधिकरण निर्णय 30 दिनों के बाद उस स्थिति में अंतिम बन जाएगा जब उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा हेतु समय अवधि के भीतर याचिका N.C. Gen. Stat. §§ 96-15(h) and (i). पर विश्वास करते हुए फाइल नहीं की जाती।

उच्चतम न्यायालय के क्लर्क के पास न्यायिक समीक्षा हेतु फाइल की गई किसी भी याचिका की प्रतियों को याचिका फाइल करने के 10 दिनों के भीतर Division of Employment Security ("Division") में व कार्यवाही के रिकार्ड में मौजूद सभी पक्षों को आवश्यक तौर पर भेजा जाए। याचिका की प्रतियों को व्यक्तिगत सेवा अथवा प्रमाणित डाक, जिसमें प्राप्ति की रसीद आवश्यक हो, से भेजा जाए। उच्चतम न्यायालय की समीक्षा हेतु दायर की गई याचिकाओं को आवश्यक तौर पर भेजा जाए व सेवा की प्रक्रिया के लिए विभाग के पंजीकृत ऐजेंट को संबोधित किया जाए :

A. John Q Lawyer

Chief Counsel

North Carolina Department of Commerce

Division of Employment Security

पत्र भेजने का पता : Post Office Box 25903, Raleigh, NC 27611-5903

वास्तविक पता : 700 Wade Avenue, Raleigh, NC 27605-1154

नोट : यदि आपको किसी अन्य पक्ष द्वारा न्यायिक समीक्षा के लिए दायर की गई याचिका हेतु याचिका की प्रति भेजी जाती है तो आप न्यायिक समीक्षा कार्यवाही के लिए एक पक्ष तब तक नहीं होंगे, जब तक (1) आप याचिका प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय को इस बारे में सूचित नहीं कर देते कि आप कार्यवाही का एक पक्ष बनना चाहते हैं, या (2) जैसाकि N.C. Gen. Stat. § 1A-1, Rule 24. में दिया गया है, हस्तक्षेप करने के लिए एक प्रस्ताव फाइल नहीं करते।

**महत्वपूर्ण - आगे का पृष्ठ देखें**

सभी इच्छुक पक्षों के लिए सूचना

जैसाकि 04 N.C. Admin. Code 24A .0105(32) में परिभाषित किया गया है, एक कानूनी प्रतिनिधि (जिसमें तीसरे पक्ष की कंपनी जोकि नियोक्ता के बेरोजगार बीमा प्रबंधक के तौर पर सेवाएं दे रही है, से व्यक्ति भी सम्मिलित हैं।), के लिए अति आवश्यक है कि वह लाइसेंसधारी अटार्नी हो या एक ऐसा व्यक्ति हो जिसे लाइसेंस धारी अटार्नी द्वारा N.C. Gen. Stat. Ch. 84 and § 96-17(b) का अनुपालन करते हुए निदेशित किया जा रहा हो। सूचना और /या अटार्नी के निदेशन की प्रमाणिकता को 04 N.C. Admin. Code 24C.0504 का अनुसरण करते हुए लिखित रूप में होना चाहिए। न्यायिक कार्यवाही में कानूनी प्रस्तुतिकरण के साथ N.C. Gen. Stat. Ch. 84. का अनुपालन आवश्यक तौर से किया जाना चाहिए।

04 N.C. Admin. Code 24C .0504 का अनुपालन करते हुए, जब एक पक्ष के पास कानूनी प्रतिनिधि हो, पक्ष को उपलब्ध करवाए जाने वाले सभी दस्तावेज या जानकारियों को केवल कानूनी प्रतिनिधि को ही भेजा जाए। एक पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि को जो भी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी, उसका उतना ही बल व प्रभाव होगा जितना कि पक्ष को सीधे तौर पर भेजी गई जानकारी का होता।

**30 जून 2013 को या उसके बाद फाइल किए गए क्लेम के लिए, दावेदार को किसी प्रशासनिक अथवा न्यायिक निर्णय से प्राप्त लाभ को अपील करने पर निर्णय के पलट जाने पर पुनः भुगतान का विषय मानना होगा।**

**दावेदार के लिए विशेष सूचना :** यदि आपने रेखांकित क्लेम से संबंधित बेरोजगारी बीमा लाभों को प्राप्त कर रहे हैं या पहले प्राप्त किया है व इस उच्चतम प्राधिकरण के निर्णय के नियम के तहत आप संपूर्ण लाभ या उसके एक भाग के लिए आयोग्य या अमान्य हो जाते हैं तो हो सकता है कि N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2). का अनुसरण करते हुए आपको लाभों का अतिरिक्त भुगतान किया गया हो। यदि उच्चतम प्राधिकरण के इस निर्णय के अनुसार अधिक भुगतान किया गया है तो आपको विभाग के Benefits Integrity/Benefit Payment Control Section. से अतिरिक्त भुगतान या अतिरिक्त भुगतान के निर्धारण का एक अलग नोटिस भेजा जाएगा।

अतिरिक्त भुगतान या अतिरिक्त भुगतान के निर्धारण के नोटिस में अन्य बातों के साथ, आपकी पुनः भुगतान की राशि या अन्य कोई जुर्माना राशि जो लागू होती हो, को भी निर्दिष्ट किया जाएगा। कृपया ध्यान दें, इस अतिरिक्त भुगतान राशि को चुनौती देने का केवल एक ही मार्ग है कि आप इस उच्चतम प्राधिकरण के निर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा के लिए नॉर्थ कैरोलिना के नियमों का पालन करते हुए याचिका दायर करें, जैसाकि ऊपर दिया गया है। आपकी याचिका में, आप यह आवश्यक तौर पर निर्दिष्ट करें कि आप अपील (1) विषय, अमान्यता या अयोग्यता के विषय या (2) निर्धारण के परिणाम स्वरूप आपको लाभों के अतिरिक्त भुगतान के बारे में है।

अपील फाइल की गई :

निर्णय प्रेषित किया गया :